

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 652
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2023

हैडर और मैसेज टेम्पलेटों का दुरुपयोग

652. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा; श्री अरुण साव; श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे; श्री देवजी पटेल;
श्री बिद्युत बरन महतो; श्री नारणभाई काछड़िया; श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर;
श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय टेलीमार्केटरों द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं के हैडर एंड मैसेज टेम्पलेट्स का दुरुपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने हैडर एंड मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं कि सभी प्रायोजित संदेश पंजीकृत टेलीमार्केटरों (आरटीएम) के माध्यम से वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलएस) प्लेटफार्मों पर अनुमोदित हैडर एंड मैसेज टेम्पलेट्स का उपयोग करके ही भेजे जाएं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) दूरसंचार विभाग प्रमुख इकाईयों (पीई) के हैडर एवं मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग सहित साइबर धोखाधड़ी के लिए उपयोग में लिए विभिन्न तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। दूरसंचार विभाग ने अपने हैडर एवं कंटेंट टेम्पलेट्स के साथ डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफार्म के माध्यम से एसएमएस भेजने वाली इकाईयों का एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग) आधारित विश्लेषण किया है और लगभग 20,000 पीई, 30,000 एसएमएस हैडर्स और 1.95 लाख एसएमएस कंटेंट टेम्पलेट्स हटा दिए गए हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार हैडर और कंटेंट टेम्पलेट्स के दुरुपयोग के 28000 से अधिक मामलों की सूचना दी गई है। मोबाइल कंपनियों को हैडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट करके दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिदेश प्राप्त है। बार बार होने वाली घटनाओं के मामलों में मोबाइल कंपनियां शामिल प्रमुख इकाई (पीई) और/अथवा टेलीमार्केटर्स (टीएम) को ब्लैक लिस्ट करती है। वर्ष 2019 से 20 से अधिक टेलीमार्केटर्स, लगभग 500 प्रमुख इकाई, 3000 से अधिक एसएमएस हैडर्स और 40000 से अधिक कंटेंट टेम्पलेट्स को फिशिंग एसएमएस/अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) भेजने के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है।

(ख) ट्राई ने दिनांक 16.02.2023 के अपने निदेश के माध्यम से सभी मोबाइल कंपनियों को डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफार्म के सभी हैडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स को पुनः सत्यापित करने और सभी असत्यापित हैडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स को क्रमशः 30 दिनों और 60 दिनों के भीतर ब्लॉक करने का निदेश दिया है। मोबाइल कंपनियों को पिछले तीस दिनों में अप्रयुक्त रहने वाले सभी हैडर्स को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का भी निदेश दिया गया था। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया था कि प्रमुख इकाई (पीई) पंजीकरण के समय प्रत्येक हैडर को 'अस्थायी' अथवा 'स्थायी' हैडर, जैसी भी मामला हो, के रूप में वर्गीकृत करेगा और वह 'अस्थायी' हैडर उस समयावधि के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके लिए ऐसा 'अस्थायी' हैडर पंजीकृत किया गया है,।

(ग) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन (टीसीसीसीपीआर 2018) अधिदेश करता है कि मोबाइल कंपनियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नेटवर्क पर सभी वाणिज्यिक संचार केवल डीएलटी प्लेटफार्म पर प्रेषकों द्वारा पंजीकृत हैडर और कंटेंट टेम्पलेट्स का उपयोग करके हों। प्रमुख इकाई (पीई) पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) को नियुक्त करके अथवा सीधे मोबाइल कंपनियों द्वारा विकसित और स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से अपने वाणिज्यिक संचार भेज सकते हैं।

इसके अलावा ट्राई ने दिनांक 16.02.2023 को अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स अथवा 10 अंको के टेलीफोन नंबर का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स के माध्यम से प्रचार संदेशों के प्रसारण को रोकने के लिए एक निदेश जारी किया। ट्राई के निदेशों के अनुपालन में मोबाइल कंपनियों द्वारा लगभग 4 लाख हैडर्स और 11 लाख से अधिक कंटेंट टेम्पलेट्स अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
